

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या – 12/2019 अपील
पंजीयन दिनांक– 19.11.2015
निर्णय दिनांक– 24.04.2019

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला
डूंगरपुर
2. श्री घनश्याम पिता स्व. श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला
डूंगरपुर

..... अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती धूली पुत्री रतन जी मोड पटेल पत्नी श्री जादव जी कलाल निवासी सीमलवाड़ा
जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती रक्षा पुत्री श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला
डूंगरपुर
3. श्री नंदराम पिता न्यालचंद लबाना निवासी बाकड़ा फला पारेड़ी तहसील सीमलवाड़ा
4. श्री पोपटलाल पिता न्यालचंद लबाना निवासी बाकड़ा फला पारेड़ी तहसील सीमलवाड़ा
5. श्रीमती मनहर कुंवर पत्नी घनश्याम राजपूत निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला
डूंगरपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

- श्री गिरधारी लाल शर्मा : अधिवक्ता अपीलान्त
श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या-1
श्री प्रभूलाल प्रजापत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या-2

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट-1956

विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा

के प्रकरण संख्या 77/2010 निर्णय दिनांक 19-10-2015

2. प्रकरण संख्या – 13/2019 अपील
पंजीयन दिनांक– 19.11.2015
निर्णय दिनांक– 24.04.2019

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
2. श्री घनश्याम पिता स्व. श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती धूली पुत्री रतन जी मोड़ पटेल पत्नी श्री जादव जी कलाल निवासी सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती रक्षा पुत्री श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
3. श्री नंदराम पिता न्यालचंद लबाना निवासी बाकड़ा फला पारेड़ी तहसील सीमलवाड़ा
4. श्री पोपटलाल पिता न्यालचंद लबाना निवासी बाकड़ा फला पारेड़ी तहसील सीमलवाड़ा
5. श्रीमती मनहर कुंवर पत्नी घनश्याम राजपूत निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा

.....रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित :

श्री गिरधारी लाल शर्मा : अधिवक्ता अपीलान्त
श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-1
श्री प्रभूलाल प्रजापत अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-2

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट-1956
विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा
के प्रकरण संख्या 78/2010 निर्णय दिनांक 19-10-2015

3. प्रकरण संख्या – 14/2019 अपील

पंजीयन दिनांक— 19.11.2015

निर्णय दिनांक— 24.04.2019

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
2. श्री घनश्याम पिता स्व. श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती धूली पुत्री रतन जी मोड़ पटेल पत्नी श्री जादव जी कलाल निवासी सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती रक्षा पुत्री श्री अमृत लाल कलाल निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
3. श्री नंदराम पिता न्यालचंद लबाना निवासी बाकड़ा फला पारेड़ी तहसील सीमलवाड़ा
4. श्री पोपटलाल पिता न्यालचंद लबाना निवासी बाकड़ा फला पारेड़ी तहसील सीमलवाड़ा
5. श्रीमती मनहर कुंवर पत्नी घनश्याम राजपूत निवासी पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा

.....रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित :

श्री गिरधारी लाल शर्मा : अधिवक्ता अपीलान्त

श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-1

श्री प्रभूलाल प्रजापत अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-2

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट-1956

विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा

के प्रकरण संख्या 80/2010 निर्णय दिनांक 19-10-2015

निर्णय

दिनांक— 22.04.2019

अपीलान्ट द्वारा ये तीनों अपीले अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा प्रकरण संख्या 77/2015, 78/2015, 80/2015 निर्णय दिनांक 19.10.2015 के विरुद्ध दिनांक 19.11.2015 को पेश की गई।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पीठ तहसील सीमलवाड़ा की आराजी नम्बर 2656 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 2728 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 3215 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित होकर उक्त भूमि श्री रतन जी के नाम दर्ज थी, श्री रतन जी द्वारा अपीलान्ट के पिता श्री अमृतलाल को समझौता पत्र के आधार पर गोद रखा एवं श्री रतन जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि श्री अमृतलाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 730 से दर्ज हुई। अमृतलाल द्वारा उक्त भूमि में से 3215 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि रेस्पो. सं. 3 व 4 को एवं आराजी नम्बर 2656 रकबा 14 बिस्वा, रेस्पो. सं. 5 को विक्रय कर दी जिसके नामान्तरकरण क्रमशः 823 एवं 1101 केता के पक्ष में स्वीकृत हुए। रेस्पो. सं. 1 श्रीमती धूली पुत्री श्री रतन जी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा में नामान्तरकरण संख्या 730, 823, 1101 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.2015 से रेस्पो. सं. 1 जो कि स्व. रतन जी की पुत्री है को एक मात्र वारीस मानते हुए नामान्तरकरण संख्या 730 को निरस्त करने एवं रेस्पो. सं. 1 श्रीमती धूली के नाम भूमि को राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार दर्ज किये जाने के तहसीलदार सीमलवाड़ा को दिये गये। मूल नामान्तरकरण 730 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने से पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 823 एवं 1101 स्वतः ही प्रभाव शून्य होने के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा ये तीनों अपीले पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तीनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश से किया गया है। प्रकरण में विषय वस्तु एवं पक्षकारान तथा विवाद बिन्दु समान होने के कारण हम उपरोक्त तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जाना उचित समझते हैं। निर्णय की एक-एक प्रति तीनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

अपीले दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री परमेश्वर पण्ड्या, रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से अधिवक्ता श्री

प्रभुलाल प्रजापत उपस्थित हुए। रेस्पोजेन्ट संख्या 3 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 11.04.2019 को वकील अपीलान्ट्स एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि श्री रतनजी पिता गंगाराम जी कलाल द्वारा सामाजिक रीति रिवाज अनुसार तथा समझौता पत्र अनुसार अपनी भूमि अमृतलाल जिनके कि अपीलान्ट्स वारीस है को अपने जीवनकाल में ही विधि पूर्ण दे दी। रेस्पोजे. सं. 1 अपने पिता के जीवन काल में विवाह करके ससुराल चली गई और उसका कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। जबकि अपीलान्ट के पिता अमृतलाल के कब्जे में वादग्रस्त भूमि 30 वर्षों से अधिका समय से है और उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। रतन जी रेस्पोजे. सं. 1 धूली के पिता है उन्होंने एक समझौता पत्र लिखकर दिया और उसी के आधार पर वादग्रस्त वाराजी श्री अमृतलाल के नाम दर्ज हुई। उसके पश्चात् अमृतलाल द्वारा उक्त भूमि में से 3215 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि रेस्पोजे. सं. 3 व 4 को एवं आराजी नम्बर 2656 रकबा 14 बिस्वा, रेस्पोजे. सं. 5 को विक्रय कर दी थी। रेस्पोजे. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 23 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण के लिए कहे जाने पर ही ग्राम पंचायत द्वारा अमृतलाल के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया। रेस्पोजे. सं. 1 धूली 23 वर्ष तक चुपचाप बैठी रही, जिसका अर्थ है कि वह स्वयं भी यह बात जानती थी कि उसके पिता ने वादग्रस्त भूमि अमृतलाल को दी दी थी रेस्पोजे. सं.1 द्वारा 23 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.10.2015 में विधिक कमियां रही है। अपीलान्ट का मियाद के बिन्दु पर आक्षेप है, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मियाद के बिन्दु पर ही खारीज किया जाना चाहिये, जो नहीं की जाने की विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजे. सं. 1 ने अपनी लिखित बहस में बताया कि वह श्री रतन जी की एक मात्र वारीस है। श्री रतन जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी वारीस जायन्दा पुत्री श्रीमती धूली के नाम ही खोला जाना चाहिये था। श्री रतन जी की भूमि पर किसी अन्य का हक व अधिकार नहीं बनता है तथा अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड दस्तावेज से किसी भी पक्षकार को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मौजूदा अपीलान्ट केवल समझौता पत्र (इकरारनामा) के आधार पर अपने नाम म्यूटेशन करवाना चाहता है जिसका कोई हक व अधिकार नहीं है। श्री अमृतलाल के नाम खोला गया नामान्तरकरण ही गलत है तो अमृतलाल द्वारा किया गया विक्रय भी वोर्ड है एवं विक्रय के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण भी वोर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का पारित आदेश विधिसम्मत है।

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत तीनों अपीले खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः अपीलान्ट्स की तीनों अपीले मय खर्चा खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। रेस्पो. सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा भी अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा लिये गये उज्र पर हम विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलान्ट का प्रमुख उज्र यह है कि रतनजी द्वारा सामाजिक रीतिरिवाज अनुसार तथा समझोता पत्र अनुसार भूमि अमृतलाल जी जो कि अपीलान्ट के वारीस है उनको सोप दी तथा रेस्पो. सं. 1 श्री रतनजी की पुत्री विवाह कर ससुराल चली गई। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विधि के शासन में कोई भी अधिकार विधिक रूप से ही प्रवृत्त हो सकते हैं। सामाजिक रीतिरिवाज अथवा इकरारनामा के आधार पर विधि से इतर अधिकारों का सृजन नहीं हो सकता। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि मृतक रतन जी की पुत्री जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी है एवं तदनुसार रतनजी की प्रथम श्रेणी की वारीस रेस्पो. सं. 1 धूली के अस्तित्व में रहने पर उसकी उपस्थिति में प्रथम श्रेणी से अतिरिक्त अन्य रिश्तेदारों/नातेदारों को वारीस नहीं माना जा सकता। जहां तक समझोते का प्रश्न है, समझोते के आधार पर अधिकारों का प्रवर्तन नहीं होता एवं यदि समझोता इकरार नामा है तो उसके आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय से संविदा निष्पादन की कार्यवाही अपीलान्ट को करवानी चाहिये। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्री के विवाह हो जाने एवं उसके ससुराल चले जाने से उसकी विरासत का लोप नहीं होता। अपीलान्ट का अन्य उज्र यह है कि विवादित भूमि पर पुत्री रेस्पो. सं. 1 का कब्जा नहीं है जो विधिक नहीं है क्योंकि विरासत के मामले में कब्जा गौण होता है। अपीलान्ट का अन्य उज्र यह है कि रेस्पो. सं. 1 की अपील मियाद बाहर है तथा 23 वर्षों से अधिक का विलम्ब के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रारम्भतः विधि विरुद्ध प्रकरणों में मियाद महत्व नहीं रखती। इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रतन जी की विरासत के नामान्तरकरण वसीयत एवं समझोता के आधार पर पटवारी द्वारा दर्ज किया गया तथा संबंधित गिरदावर द्वारा रेस्पो. सं. 1 के आवेदन आधार पर उक्त नामान्तरकरण को विवादित होने का नोट भी अंकित किया उसके बावजूद बिना सक्षमता ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण को तस्दीक किया गया, तदनुसार श्री रतन की मृत्यु के बाद जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया वह हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के ही विरुद्ध तों था ही, इसके साथ भू-अभिलेख नियमों के अनुसार भी पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार विरुद्ध विधिक वारीसान को वंचित करते हुए समझोते के आधार पर अमृतलाल के नाम पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश पारित किया। पंचायत का अमृतलाल के नाम तस्दीक किया गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 730 स्पष्टतया विधिविरुद्ध होने से मियाद का बिन्दु महत्व नहीं रखता तथा विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध कभी भी अपील की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा नामान्तरकरण संख्या 730 को अपास्त किये जाने का जो आदेश दिया है उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक तथा विधिक त्रुटि नहीं पाते। इसी प्रकार उक्त नामान्तरकरण संख्या 730 के अपास्त हो जाने के कारण श्री अमृतलाल या उसके वारीसान द्वारा श्री रतन की भूमियों के किये गये पश्चात्वर्ती अन्तरण के नामान्तरकरण भी विधिक नहीं रहते। उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण संख्या 77/2010, 78/2010 एवं 80/2010 में पारित निर्णयों में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। उपरोक्त तीनों प्रकरणों के विरुद्ध इस न्यायालय में दर्ज क्रमशः अपील संख्या 12/19, 13/19 एवं 14/19 सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की एक-एक प्रति तीनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।



एल0एन0मंत्री
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official